

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**



Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 430 / 23 एल.ए.

दिनांक-गोपेश्वर 17/02/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

मा. मुख्यमंत्री घोषणान्तर्गत ल्वां-दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक दि. 09.01.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/15018/2015 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नप्रकार प्रेषित है :-

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	In reply to point No.2 VLC proceeding of Gadora and Mahergaon still not uploaded/submitted along with FRA documents user agency may upload VLC for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B- 2.3 - village wise breakup along with FRA documents in Para K part-I.	गडोरा एवं ल्वां गांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है, तथा मेहरगांव ल्वां ग्रामसभा का तोक है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम सभा ल्वां द्वारा दिया जा रहा है। ग्रामसभा गडोरा एवं मेहरगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र FRA में संलग्न करते हुये Para K part-I एवं B- 2.3 - village wise breakup में अपलोड करते हुये उक्त प्रपत्र Additional Information के क्रमांक पर में संलग्न कर दिया गया है।
2	In reply to point No. 3 it is submitted that total number of trees are 403 including 266 tree in 0-10 dia and the same found uploaded online, but the hard copy of the same is still not submitted. State Govt. may submit the hard copy of tree enumeration list in original.	This Point is related to DFO
3	On perusal of KML file, only few scattered houses are seen along the road which is also very near to existing road. Taking the PMGSY norms into consideration for this purpose. State Govt. may submit the detail of the population to be benefitted excluding the population deemed to have been benefitted by two existing road in the area.	स्थल की स्थितिनुसार मेहरगांव को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु न्यूनतम वनभूमि हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। उक्त ग्राम के दोनों ओर लगभग 1.50 से 2.00 किमी की दूरी पर अन्य मोटर मार्ग हैं, किन्तु इन मार्गों का मेहरगांव के ग्रामीणों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम होने के कारण मेहरगांव के 27 परिवारों के 192 निवासियों एवं मा. जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर मा.मुख्यमंत्री घोषणा सं. 110/2014 दि. 03. 02.14 के अनुपालन में शा.सं. 807/111(2)/14-58 (प्रा.आ.)/13 दिनोंक 08.02.2014 द्वारा 1.50 किमी. लम्बाई हेतु रु. 16.88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मा० मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में भी इस मार्ग की अद्यतन स्थिति चाही जाती रही है। मार्ग का निर्माण लोक निर्माण की विशिष्टियों के अनुरूप ही किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने

का कष्ट करें।

संलग्न - सूचना।

17/02/20
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर